

10. विद्यमान राशन कार्ड को प्रत्यर्पण/रद्द करने का कारण :-

(क) ग्रामीण क्षेत्र में प्रवास, जन्म, विवाह, सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति में परिवर्तन के कारण आवेदक निम्नलिखित पर हाँ/नहीं, पर टिक लगावें :

- | | | |
|--|------------------------------|-------------------------------|
| (i) मोटर चालित तिपहिया/चार पहिया वाहन है, | हाँ <input type="checkbox"/> | नहीं <input type="checkbox"/> |
| (ii) मशीन चालित तीन/चार पहियों वाले कृषि उपकरण है, | हाँ <input type="checkbox"/> | नहीं <input type="checkbox"/> |
| (iii) सरकार में पंजीकृत गैर-कृषि उद्योग वाले परिवार वाली गृहस्थी है, | हाँ <input type="checkbox"/> | नहीं <input type="checkbox"/> |
| (iv) परिवार के किसी सदस्य की मासिक आय 10,000/- रु० से अधिक है, | हाँ <input type="checkbox"/> | नहीं <input type="checkbox"/> |
| (v) आयकर देते हैं, | हाँ <input type="checkbox"/> | नहीं <input type="checkbox"/> |
| (vi) व्यावसायिक कर का भुगतान करते हैं, | हाँ <input type="checkbox"/> | नहीं <input type="checkbox"/> |
| (vii) जिस मकान में रहते हैं, उस मकान में सभी कमरों में पक्की दीवारों और छत के साथ तीन अथवा अधिक कमरा है, | हाँ <input type="checkbox"/> | नहीं <input type="checkbox"/> |
| (viii) परिवार में कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ अथवा इससे अधिक सिंचित भूमि है, | हाँ <input type="checkbox"/> | नहीं <input type="checkbox"/> |
| (ix) दो अथवा उससे अधिक फसली मौसम के लिए 5 एकड़ अथवा इससे अधिक सिंचित भूमि वाली गृहस्थी है, | हाँ <input type="checkbox"/> | नहीं <input type="checkbox"/> |
| (x) कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ कम से कम 7.5 एकड़ अथवा इससे अधिक भूमि वाली गृहस्थी है, | हाँ <input type="checkbox"/> | नहीं <input type="checkbox"/> |
| (xi) आवेदक अथवा आवेदक के परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में है, अगर है, तो उसका विवरण :- | हाँ <input type="checkbox"/> | नहीं <input type="checkbox"/> |

(क) किस सेवा में है -

(ख) कहाँ पदस्थापित है -

(ग) कितना मासिक आमदनी है -

(ख) शहरी क्षेत्र में प्रवास, जन्म, विवाह, सामाजिक और आर्थिक प्रास्थिति में परिवर्तन के कारण आवेदक निम्नलिखित पर हाँ/नहीं, पर टिक लगावें :-

- | | | |
|--|------------------------------|-------------------------------|
| (i) आयकर अदा करते हैं, | हाँ <input type="checkbox"/> | नहीं <input type="checkbox"/> |
| (ii) आवेदक अथवा आवेदक के परिवार का कोई सदस्य वर्ग क, वर्ग ख, वर्ग ग एवं वर्ग घ श्रेणी के सरकारी सेवा (अनु० जाति/अनु० जनजाति के समूह 'घ' के कर्मी को छोड़कर) में है, अगर है, तो उसका विवरण :- | हाँ <input type="checkbox"/> | नहीं <input type="checkbox"/> |
| (क) किस सेवा में है - | | |
| (ख) कहाँ पदस्थापित है - | | |
| (ग) कितना मासिक आमदनी है - | | |

(iii) व्यवसायिक कर अदा करते हैं,
 हाँ | नहीं |

(iv) तीन कमरे या उससे अधिक (पक्का) कंक्रीट छतयुक्त मकान वाली गृहस्थी जो स्वयं की स्वामित्व में है,
 हाँ | नहीं |

(v) परिवार के किसी सदस्य का मासिक आय 20,000/- रु० से अधिक है,
 हाँ | नहीं |

(vi) दो पहिया वाहन, रेफ्रिजरेटर तथा वाशिंग मशीन तीनों उपकरण है,
 हाँ | नहीं |

(vii) गृहस्थी में चार पहिया वाहन है,
 हाँ | नहीं |

(viii) गृहस्थी में वाशिंग मशीन है,
 हाँ | नहीं |

उपरोक्त कंडिका के अनुसार विद्यमान राशन कार्ड में आवश्यक उपांतरण किया जाय/ कंडिका के अनुसार पात्र गृहस्थितियों हेतु मानक मानदंड से बाहर हो जाने के कारण विद्यमान राशन कार्ड को रद्द कर दिया जाय (राशन कार्ड संलग्न)

दिनांक

स्थान

आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

नाम

घोषणा

महोदया/महोदय

मैं परिवार सहित यह घोषणा करता हूँ कि आवेदन-पत्र में लिखी गई सभी प्रविष्टियाँ सही हैं। अगर आवेदन-पत्र में लिखित कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो मैं दंडात्मक/कानूनी कार्रवाई का भागी होऊँगा।

दिनांक

स्थान

आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

नाम

सामान्य निर्देश

1. आवेदन-पत्र केवल एक ही प्रति आवेदक द्वारा भरी जायेगी।
2. किसी व्यक्ति, संगठन या राजनीतिक पार्टी द्वारा तादाद में प्रस्तुत किये गये आवेदन-पत्रों को स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
3. अपूर्ण आवेदन-पत्र को रद्द कर दिया जायेगा।
4. अहस्ताक्षरित या बिना अंगूठे के निशान के आवेदन-पत्र को रद्द कर दिया जायेगा।
5. हस्तलिखित, टाईप किये गये, फोटो कॉपी किये गये या एन.आई.सी. की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रपत्र भी स्वीकार किये जायेंगे, बशर्ते कि इस प्रकार के प्रपत्र निर्धारित प्रपत्र के समरूप होने चाहिए।
6. सभी आवेदन पत्र RTPS के माध्यम से लिये जायेंगे।
7. सरकारी सेवा से तात्पर्य है केन्द्र एवं राज्य सरकार, लोक उपक्रम, स्थानीय निकाय एवं स्वशासी में नियमित वेतनमान में कार्यरत कर्मों की सेवा।
8. RTPS के तहत पात्र गृहस्थी द्वारा राशन कार्ड का आवेदन-पत्र संबंधित क्षेत्र के अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जायेगा।
9. अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा RTPS के तहत राशन कार्ड हेतु प्राप्त आवेदन-पत्र को एक सप्ताह के अन्दर संबंधित क्षेत्र के प्रखंड विकास पदाधिकारी को भेजा जायेगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र को जाँच कराकर 15 दिनों के अन्दर अनुमंडल पदाधिकारी को वापस किया जायेगा।
10. अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा आवेदन-पत्र को स्वीकृत किया जाता है तो राशन कार्ड निर्गत किया जायेगा।

परिशिष्ट-1

क्र. सं.	विभाग का नाम/ सेवा का नाम	नामनिर्दिष्ट लोक संवक	सेवा हेतु समय सीमा	अपीलीय प्राधिकार	प्रथम अपील के निष्पादन हेतु सीमा	पुनर्विलोकन प्राधिकार	द्वितीय अपील के निष्पादन हेतु समय सीमा
1.	2	3	4	5	6	7	8
	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग। (i) नये राशन कार्ड का निर्गमन खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग।	अनुमंडल पदाधिकारी अनुमंडल	30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस	जिला पदाधिकारी जिला	21 कार्य दिवस 21 कार्य दिवस	प्रमण्डलीय आयुक्त प्रमण्डलीय	15 कार्य दिवस 15 कार्य दिवस
	(ii) राशन कार्ड में संशोधन (नाम में संशोधन/नामजोड़ना/नाम हटाना) खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग।	पदाधिकारी अनुमंडल	दिवस 30 कार्य दिवस	पदाधिकारी जिला	दिवस 21 कार्य दिवस	आयुक्त प्रमण्डलीय	दिवस 15 कार्य दिवस
	(iii) राशन कार्ड का प्रत्यर्पण/रद्दीकरण	पदाधिकारी	दिवस	पदाधिकारी	दिवस	आयुक्त	दिवस

“परिशिष्ट-II

सेवा प्राप्त करने हेतु आवेदन के साथ जमा किए जाने वाले आवश्यक कागजात
(चेक लिस्ट)

सेवा का नाम	चेक लिस्ट
1. नये राशन कार्ड का निर्गमन	<ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदन-पत्र विभागीय प्रपत्र 'क' में। 2. आधार कार्ड का छायाप्रति। 3. बैंक खाता के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति, जिसपर खाताधारी का नाम, खाता संख्या, बैंक का नाम, बैंक का IFSC Code रहता है। 4. आवासीय प्रमाण-पत्र 5. विभागीय आवेदन-पत्र प्रपत्र 'क' के क्रमांक 10 अथवा 11 जो लागू हो, के संबंध में शपथ-पत्र। 6. सम्पूर्ण परिवार का तीन फोटोग्राफ।
2. राशन कार्ड में संशोधन (नाम में संशोधन, नाम जोड़ना, नाम हटाना)	<ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदन-पत्र विभागीय प्रपत्र 'ख' में। 2. व्यक्ति, जिसका नाम जोड़ा जाना है, के आधार कार्ड की छाया प्रति। 3. विभागीय आवेदन-पत्र प्रपत्र 'ख' के क्रमांक 8 एवं 9 के संबंध में लागू कारण के प्रमाण-पत्र की छायाप्रति, यथा :- <ol style="list-style-type: none"> i. निवास में परिवर्तन हेतु आवासीय प्रमाण-पत्र ii. जन्म/मृत्यु का प्रमाण-पत्र iii. राशन कार्ड में वर्णित अशुद्धियाँ जिनको शुद्ध किया जाना है, के लिए सरकारी प्रमाण-पत्र (सरकारी विद्यालय का प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, वोटर आई० कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, पैन कार्ड आदि)।
3. राशन कार्ड का प्रत्यर्पण (Surrender)/रद्दीकरण	<ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदन पत्र विभागीय प्रपत्र 'ख' में। 2. विद्यमान राशन कार्ड का प्रत्यर्पण/रद्द कराने के लिए आवेदन पत्र के क्रमांक 10 के संबंध में लागू कारण की छायाप्रति।